



प्रेस नोट - थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर दिनांक - 10.07.2026



थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के कुशल नेतृत्व में थाना तिलहर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.05.2026 को वादी द्वारा थाना तिलहर पर दी गयी तहरीर बाबत सौरभ पुत्र रामदास नि0मो0 बगियानाथ कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसला भगा ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 - 257/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी । आज दिनांक 10.07.2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त सौरभ उपरोक्त को डभौरा फाटक के पास से समय 12.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सौरभ राठौर पुत्र स्व0 रामदास उम्र करीब 22 वर्ष नि0मो0 बगियानाथ कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 - 257/26 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक/समय-

डभौरा फाटक के पास से, दिनांक 10.07.2026 समय 12.10 बजे ।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा

उ0नि0 रमेश कुमार वर्मा

हे0का0 संजीव कुमार

कां0 अनिल कुमार